



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235807
CG-DL-E-17052022-235807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944

No. 252]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944

रेल विकास निगम लिमिटेड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2022

सं. 2021—CPM/RVNL/PATNA/3rd Line/SEB-PTRU/Work Correspondence.—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (रेलवे संशोधित अधिनियम, 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III खंड 4 में प्रकाशित रेल विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 2021—CPM/RVNL/ PATNA/3rd LINE/SEB-PTRU/Work Correspondence की अधिसूचना नई दिल्ली तारीख 01 फरवरी 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है।) से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को बिहार राज्य के जिला औरंगाबाद तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण के विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, रख रखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

उक्त अधिसूचना का सारांश उक्त अधिनियम धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में तारीख 06 फरवरी 2022 और हिन्दुस्तान टाइम्स 06 फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था।

और, शून्य आपेक्ष प्राप्त हुए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया और तदनुसार आदेश पारित किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उप धारा (1) के अनुसरण, में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड़) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड़) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

कृष्णा कुमार भार्गव, मुख्य परियोजना प्रबंधक, पटना

[विज्ञापन III/4/असा./71/2022-23]

बिहार राज्य में विशेष रेलवे परियोजना सोन नगर से गढ़वा रोड के बिच तीसरे लाइन निर्माण के लिए औरंगाबाद जिले में आने वाली संरचना सहित या उसके बिना भूमिका संक्षिप्त विवरण।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
क्रम संख्या	अंचल का नाम	ग्राम का नाम/थाना नं. संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल एकर में	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	जमीन के अनुसार	भूमि के मालिक	
								खतियान के अनुसार	वर्तमान सर्वे के अनुसार
1	बारुन	खैरा/200	32	250	0.07	0.02833	कृषि	शिवबरत महतो बल्द रघुनी महतो वो मोसमात कौलेश्वरी देवी पति रामबरन महतो 3 हिस्सा 1 हिस्सा बराबर वो बखोरी महतो बल्द दरनाथ महतो 1 हिस्सा कौम कुरमी सा0 देह	बाबूलाल सिंह पिता-रघु सिंह, ग्राम-खैरा
2	बारुन	खैरा/200	04	251	0.03	0.01214	पक्का मकान	अछैबर महतो वो शिवबरत महतो वो कुंवर महतो वो वली	नागनाथ सिंह, पिता: स्व0 बिशुनदेव सिंह ग्राम: खैरा
					0.03	0.01214	पक्का मकान	महतो बल्द भबनाथ महतो कौम कुरमी सा0 देह बाहिस्से बराबर	भृगुनाथ सिंह, पिता: स्व0 बिशुनदेव सिंह, ग्राम: खैरा
3	बारुन	खैरा/200	10	252	0.04	0.01618	डोर लेवल बाउंडी एस्बेस्टस शीट शेड एवं सहन	जदू महतो वो देवन महतो वो देवचरण महतो बल्द सलूकी महतो मोसमात भगवनिया देवी पति-फिरंगी महतो कौम कुरमी साकिन देह	राजकुमार सिंह, पिता-रामध्यान सिंह, वो कांति सिंह, पति-स्व0 रामलखन सिंह वो रामसिहासन सिंह वल्द स्व0 जगनारायण सिंह ग्राम-खैरा
					0.170	0.0688			

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th May, 2022

No. 2021-CPM/RVNL/PATNA/3rd Line/SEB-PTRU/Work Correspondence.—Whereas by the notification of the Rail Vikas Nigam Limited Notification No. 2021 CPM/RVNL/Patna/3rd line/SEB-PTRU/Work correspondence New Delhi Dated 01 February 2022 published in gazette of India, Extra Ordinary, PART III- Section 4 (hereafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20 (A) of the Railway Act, 1989 (Railway Amendment Act 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of special Railway project construction of Third Railway Line in the District of Aurangabad in the State of Bihar.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily news paper Prabhat Khabar Dated 06 February 2022 and Hindustan Times 06 February 2022 under sub-section (4) of section 20 A of the said Act.

And, whereas, zero nos. of objections was received and the same have been considered/disallowed by the competent authority accordingly orders have been passed.

And, whereas in pursuance of sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 (E) of the Railway Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

KRISHNA KUMAR BHARGAVA, Chief Project Manager, Patna

[ADVT.-III/4/Exty./71/2022-23]

Brief description of the Land to be Acquired with or without structure falling within the special Railway Project namely, for construction of 3rd Railway line from Sonnagar to Garhwa Road in the District of Aurangabad in the State of Bihar.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sl. No.	Name of Anchal	Name of Village/ Thana No.	Khata No.	Plot No.	Area in Acre	Area in Hect.	Nature of Land	Name of Land Owner	
								As per Khataiyan	As per present Survey
1	Barun	Khaira/200	32	250	0.07	0.02833	Agricultural	Shibbarat Mahto Vald Raghuni Mahto and Mosmat Kauleshwari Devi Husband Rambaran Mahto 3 Part 1 Part Equal Bakhori Mahto Bald Darnath Mahato 1 part kaum kurmi sao Deh	Babulal Singh, S/o Raghu Singh, Vill- Khaira

2	Barun	Khaira/200	04	251	0.03	0.01214	Pucca House	Achaibar Mahto and Shibbarat Mahto, Kuwar Mahto, Wali Mahto, Bald	Nagnath Singh, S/o Late Bishundev Singh, Vill-Khaira
					0.03	0.01214	Pucca House	Bhabnath Mahto, Qaum Kurmi sao Deh Bahisse Barabar	Bhrigunath Singh, s/o Late Bishundev Singh, Vill-Khaira
3	Barun	Khaira/200	10	252	0.04	0.01618	Door Level Boundary Asbestos Sheet Shed & Sahan	Jadu Mahto and Devan Mahto, Devcharan Mahto Vald Saluki Mahto, Mosmat Bhagwaniya Devi Husband-Firangi Mahto Kaum Kurmi Sakin Deh.	Rajkumar Singh, S/o Ramdhyan Singh, Kanti Singh Husband-Late Ram Lakhan Singh, Ram Sihasan Singh Wald Late Jagnarayan Singh, Vill-Khaira.
					0.170	0.0688			